सं-ई-11011/27/2021/हिन्दी/ 178

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग (हिंदी अनुभाग)

द्वितीय तल, सेवा भवन,
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली -110066
दिनांक:- 16 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28 मार्च, 2025 को आयोजित 159वीं बैठक का कार्यवृत और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 159th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 28 March, 2025 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28 मार्च, 2025 को आयोजित 159वीं बैठक का कार्यवृत आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिन्दी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

संलग्नक: यथोक्त

आनन्द
(ए.सी.मल्लिक)
निदेशक (स्था-3) एवं राजभाषा प्रभारी
दूरभाष: 011-29583459,
ई मेल: hindisec-cwc@gov.in

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/ अनुभाग अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
   निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 159 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 159 वीं बैठक दिनांक 28.03.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 159 वीं बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा के उपरांत केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं आयोग (मुख्यालय) में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में वृद्धि की समीक्षा की जाएगी।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव की भूमिका का निर्वहन करते हुए श्री विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने इस बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बताया कि पिछली बैठक 20 दिसंबर, 2024 को हुई थी और उसका कार्यवृत्त दिनांक 11.03.2025 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिया गया था। इस संबंध में कहीं से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया, इस कार्यवृत तकी पुष्टि की जाए। तत्पश्चात, सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा प्रारंभ की।

1. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने कहा कि पिछली तिमाही में भी सभी क्षेत्रीयकार्यालयों में राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, हिंदी कार्यशाला एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने हर्ष व्यक्त करते हुए निदेश दिया कि कार्यशाला आयोजन के संबंध में व्यापक स्तर पर सूचना प्रसारित की जाए ताकि अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी संबंधित विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग, के.ज.आ. (मुख्यालय) एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

2. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने आगे कहा कि केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर आयोग की आंतरिक शब्दावली को काफी समय पहले ही अपलोड कर दिया गया है और इस संबंध में पिछली बैठक में भी जानकारी साझा की गई है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में पुनः पत्र परिचालित किए जाएं ताकि सभी अधिकारी/कार्मिक इससे लाभ उठा सकें।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

3. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल तथा उन पदों पर भर्ती तथा इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक कनस्लटेंटों की भर्ती के संबंध में निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी ने बताया कि लगातार प्रयासों के बावजूद मंत्रालय में यह फाइल अभी भी लंबित है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अनुवाद कार्य एवं राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अनुवादकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और गूगल तथा मशीनी अनुवाद की कुछ सीमाएं होती हैं जिससे स्तरीय अनुवाद संभव नहीं हो पाता है। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल एवं कंसल्टेंटों की भर्ती के संबंध में माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति को भी अनुरोध पत्र लिखा जाए ताकि समिति के स्पष्ट निदेश से यह कार्य शीघ्र निष्पादित हो सके तथा राजभाषा के प्रगामी प्रगति में इससे सहायता प्राप्त हो। साथ ही, मंत्रालय के साथ इस मामले का अनुसरण (फोलो अप) किया जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग, के.ज.आ.)

4. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में नई भर्ती के माध्यम से सेवा ज्वाइन करने वाली 01 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की पुनःतैनाती के संबंध में चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अनुवादक की सेवाएं तो हिंदी अनुभाग में ही अपेक्षित होती हैं किसी दूसरे अनुभाग में उनकी तैनाती उचित नहीं है। साथ ही, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) महोदय को निदेश दिया कि कृपया मामले को देखें ताकि स्थापना -9 अनुभाग से कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का हिंदी अनुभाग में शीघ्र तैनाती हो सके । इस पर मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) महोदय ने आश्वासन दिया कि शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(कार्रवाईः स्थापना-9 अनुभाग, के.ज.आ.)

5. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा के दौरान सदस्य सचिव ने कहा कि यह पाया गया है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा धारा 3(3) और नियम-5 का अनुपालन किया गया है। दोनों बिंदुओं पर, मुख्य अभियंता कार्यालय के साथ-साथ सभी अधीनस्थ कार्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधितों को साधुवाद दिया। साथ ही, उन्होंने निदेश दिया कि राजभाषा अनुपालन में इन बिंदुओं के महत्व को देखते हुए इसके अनुपालन हेतु नियमित रूप से पत्र परिचालित किए जाएं।

(कार्रवाईः सभी क्षेत्रीय कार्यालय/हिंदी अनुभाग)

6. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट को नए सिरे से

अद्यतित/द्विभाषीकरण करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु एसएमडी निदेशालय को निदेश देते हुए कहा कि इस संबंध में अब तक हुई सावधिक प्रगति की सूचना दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

7. केंद्रीय जल आयोग में हिंदी में टिप्पणी लिखने के संबंध में चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि ई-ऑफिस में हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या प्राप्त करने को सहज बनाने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएं जैसे हम पत्राचार के मामले में करते हैं वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। इस पर एसएमडी निदेशालय ने कहा कि इस संबंध में एनआईसी की सहायता अपेक्षित होगी। इस पर, अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में हिंदी के काउंटर बनाने या तकनीकी रूप से जो यथोचित कार्रवाई हो वह की जाए।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

8. निदेशक एवं रा.भा. प्रभारी ने बताया कि ई-ऑफिस में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं साथ ही ई-साइन हिंदी में न होकर केवल अंग्रेजी में होता है। इस कारण, पत्र भेजने संबंधी राजभाषा नियमों के अनुपालन में कठिनाई आती है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि इस विषय पर सी-डैक को अनुरोध पत्र लिखा जाए ।साथ ही, हिंदी अनुभाग को निदेश दिया कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति को भी इससे अवगत कराने हेतु एक सुझाव पत्र लिखा जाए ताकि हिंदी में ई साइन भी हो सके ।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग एवं एसएमडी निदेशालय)

अंत में, अध्यक्ष महोदय ने नराकास द्वारा निचली कावेरी उप मंडल (क्षेत्रीय कार्यालय), त्रिची को तथा केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के हिंदी अनुभाग को पुरस्कृत किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी साथ ही राजभाषा के सम्यक अनुपालन हेतु सभी से आग्रह किया तथा निदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है और आज हम आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर राजभाषा की प्रगति हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में ही करें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2025 को आयोजित 159वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचीः-

क्रं. स	नाम एवं पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	
01.	डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, के.ज.आ	अध्यक्ष
02.	श्री अनुपम प्रसाद, सदस्य नदी प्रबंध, के.ज.आ	सदस्य
03.	श्री भोपाल सिंह, सदस्य अभिकल्प एवं अनुसंधान,के.ज.आ.	सदस्य
04.	श्री भूपिन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता(मां.सं.प्र.), के.ज.आ.	सदस्य
05.	श्री अश्विनी कुमार गुप्ता, सचिव कें.ज.आ. ,के.ज.आ.	सदस्य
06.	श्री सुनील कुमार, निदेशक जल आयो. एवं परियो.(सम.)	सदस्य
07.	श्री रवि रंजन, निदेशक अभि. एवं अनु.(सम.) निदे.	सदस्य
08.	श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक पी.सी.पी. निदेशालय	सदस्य
09.	श्री मनोज कुमार, निदेशक तकनीकी समन्वय, के.ज.आ.	सदस्य
10.	श्री अजय मलिक, निदेशक(प्रशासन), के.ज.आ.	सदस्य
11.	श्री संजय, निदेशक स्था-1, के.ज.आ.	सदस्य
12.	श्री आनंद चन्द्र मल्लिक,निदेशक स्था-3 एवं राजभाषा प्रभारी	सदस्य
13.	श्री अवधेश कुमार, उप-निदेशक एसएमडी, के.ज.आ.	सदस्य
14.	श्री कैलाश के. लाखे, उप-निदेशक डब्ल्यूएसई, के.ज.आ.	सदस्य
15.	श्री सचिन गुप्ता, उप-निदेशक प्रशिक्षण, के.ज.आ.	सदस्य
16.	श्री रजत, उप-निदेशक जल आयो. एवं परियो.(सम.)	सदस्य
17.	श्री विनय कु.मिश्र,वरि.अनुवाद अधि, हिंदी अनु., के.ज.आ.	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
01.	सुश्री इंद्रा एस., वरि.अनुवाद अधि., हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
02.	श्री अतुल कुमार खरे, वरिष्ठ अनुवाद अधि., हिंदी अनुभाग	हिंदी अनुभाग
03.	श्री पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग	हिंदी अनुभाग